भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3983

(दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

पत्रकारों की सुरक्षा

3983. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्ष 2026 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में से भारत के 157वें स्थान पर रहने की जानकारी है, जो वर्ष 2025 के सूचकांक में 151वें स्थान से नीचे पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूचकांक में भारत की रैंकिंग में आई गिरावट के कारणों की पहचान की है और उनका आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान देशभर में पत्रकारों तथा मीडियाकर्मियों के विरुद्ध हमलों, धमकियों, गिरफ्तारियों, हिरासत में लेने, उत्पीड़न और मौतों सहित दर्ज घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और दोषियों को दंडित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मीडिया की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र पत्रकारिता के कामकाज पर ऐसी घटनाओं के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(ङ) क्या सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत करने तथा वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता मूल्यांकन में भारत की स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाने का विचार है या उसके कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): भारत में एक जीवंत प्रेस और मीडिया इकोसिस्टम है। देश में लगभग 81,658 पंजीकृत मुद्रित पत्र-पत्रिकाएँ हैं, जिनमें वर्ष 2025-26 के दौरान पंजीकृत 7,414 शीर्षक भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 900 से अधिक अनुमत सैटेलाइट टेलीविजन चैनल तथा डिजिटल

मीडिया पर अनेक प्रकाशक हैं, जिनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म, समाचार-पत्रों के ई-रिप्लिका, डिजिटल समाचार-पत्र, समाचार वेबसाइटें तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार वेबसाइटें एवं समाचार चैनल आदि शामिल हैं।

भारतीय प्रेस परिषद संसद के अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक एवं स्वायत्त प्राधिकरण है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं–भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना तथा समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं उनमें सुधार करना।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा:

- संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है।
- भारतीय प्रेस परिषद, एक सांविधिक अर्ध-न्यायिक निकाय, प्रेस परिषद (जांच की प्रक्रिया) विनियम, 1979 के प्रावधानों के अनुसार**,** प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के अंतर्गत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से, प्रेस की स्वतंत्रता के हनन से संबंधित शिकायतों, जिनमें पत्रकारों पर हमले अथवा उन्हें दी गई धमकियों से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, को दर्ज करती है तथा उन पर निर्णय करती है।
- प्रेस परिषद (जांच की प्रक्रिया) विनियम, 1979 की धारा 13 के अंतर्गत, भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष को ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त है, जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता के प्रथम दृष्टया उल्लंघन का मामला सामने आता है।

इसके अतिरिक्त, भारत में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।
